जोड़ने से पहले सोचने की आवश्यकता

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (भारतीय राजव्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

22 दिसम्बर, 2021

प्रगतिशील पहलुओं के बावजूद, मतदाता सूची को आधार से जोड़ने से आशंकाएं पैदा होती हैं।

सार्थक बहस की अनुमति देने और व्यापक परामर्श को आमंत्रित करने की अनिच्छा समस्याग्रस्त कानून के प्रगतिशील पहलुओं को भी पूर्ववत कर सकती है। विरोधों की अनदेखी करते हुए, केन्द्र सरकार ने मतदाता सूची डेटा को आधार से जोड़ने के लिए संसद में एक विधेयक को आगे बढ़ाने में कामयाबी हासिल की है। बिल का उद्देश्य – नामावली को शुद्ध करना और फर्जी मतदाताओं को बाहर निकालना – प्रशंसनीय प्रतीत हो सकता है, और मतदाता पहचान विवरण के साथ आधार डेटा की सीडिंग इसे प्राप्त करने का एक अच्छा तरीका प्रतीत हो सकता है।

वास्तव में, यह दूरस्थ मतदान की अनुमति भी दे सकता है, एक ऐसा उपाय जो प्रवासी मतदाताओं की मदद कर सकता है। नामावलियों के पुनरीक्षण के लिए चार अर्हक तिथियां उन लोगों के नामांकन में तेजी लाने में मदद करेंगी जो 18 वर्ष के हो गए हैं। हालांकि, अन्य पहलू चुनावी लोकतंत्र के लिए गंभीर निहितार्थ रखते हैं। विपक्ष ने वैध मतदाताओं के संभावित मताधिकार से वंचित या आधार विवरण प्रस्तुत करने में असमर्थ होने, गोपनीयता के संभावित उल्लंघन और मतदाताओं की प्रोफाइलिंग के लिए जनसांख्यिकीय विवरण का दुरुपयोग होने की संभावना को रेखांकित किया। प्रत्येक एक वैध चिंता है जिस पर संसदीय समिति द्वारा विचार किया जाना चाहिए।

केन्द्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि कानून और न्याय संबंधी संसदीय समिति ने प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। लेकिन, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या विधेयक की बारीकियों पर व्यापक रूप से चर्चा की गई थी और जनता की राय मांगी गई थी।

वास्तव में ऐसी शिकायतें हैं कि कुछ मतदाता एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकृत हो सकते हैं और गैर-नागरिकों को नामांकित किया गया है, लेकिन इन्हें अन्य पहचान प्रक्रियाओं द्वारा संबोधित किया जा सकता है। वास्तव में, आधार डेटाबेस मतदाता पहचान को सत्यापित करने के लिए अप्रासंगिक हो सकता है क्योंकि यह निवासियों का पहचानकर्ता है न कि नागरिकों का। और 90% से अधिक आबादी को आवंटित विशिष्ट पहचान संख्या के खिलाफ भी गलत नामांकन की शिकायतें सामने आई हैं। श्री रिजिजू को विश्वास है कि चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित परीक्षणों को संतुष्ट करता है – एक अनुमेय कानून, एक वैध राज्य हित और आनुपातिकता इत्यादि सभी को पूरा करता है।

हालांकि, इसकी कड़ाई से जांच होनी चाहिए। भले ही आधार की आवश्यकता को स्वैच्छिक बताया गया हो, लेकिन व्यवहार में इसे अनिवार्य बनाया जा सकता है। बिल कहता है कि चुनाव पंजीकरण अधिकारी को नए नामांकन और पहले से नामांकित लोगों दोनों के लिए आधार संख्या जमा करने की आवश्यकता हो सकती है। सबमिट न करने का विकल्प एक ष्पर्याप्त कारणष् से जुड़ा हुआ है, जिसे अलग से निर्धारित किया जाएगा।

किसी के आधार नंबर को सूचित नहीं करने के कुछ अनुमेय कारणों में सिद्धांत पर आपत्ति शामिल है या नहीं यह अज्ञात है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा विवरण प्रस्तुत करने से इनकार करना अस्वीकार्य माना जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप मताधिकार का नुकसान हो सकता है।

इसलिए, उपाय आनुपातिकता के परीक्षण में विफल हो सकता है। यदि सरकार का वास्तव में मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर विलोपन को ट्रिगर करने के रूप में कोई उल्टा मकसद नहीं है, तो उसे नए प्रावधानों को लागू करने से पहले जनता की राय को आमंत्रित करना चाहिए और गहन संसदीय जांच की अनुमति देनी चाहिए, जिसे अब संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन प्राप्त है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. मतदाता सूची को आधार से लिंक करने से निम्नलिखित में से क्या लाभ हो सकते हैं?

(a) फर्जी वोटिंग रुक सकती है।

(b) एक से अधिक स्थान पर नामांकन रद्द हो सकता है।

(c) नागरिकों की निजता सुरक्षित होगी।

(d) a एवं b दोनों

Expected Question (Prelims Exams)

Q. What are the benefits of linking the voter list with Aadhaar?

(a) Fake voting can stop.

(b) Nomination can be canceled at more than one place.

(c) The privacy of citizens will be protected.

(d) both a and b

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. मतदाता सूची को आधार डेटा से जोड़ने को लेकर हालिया पारित संशोधन अधिनियम क्या चिंताएं उजागर करता है? चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

Q. What are the concerns raised by the recently passed amendment act regarding linking of voter list with Aadhaar data? Discuss. (250 Words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।